



फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन (विषय बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान सं0-21 वित्तीय वर्ष 2022-23

(धनराशि ₹0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग
1	2	3	4	5	6
4408-01-101-03-00-43					
लेखाशीर्षक "4408-खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय -01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	1534000.00	563765.29	3173.00	3173.00	1530827.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु कुल प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग
7	8	9	10(9-8)	11	12
4059-60-051-04-00					
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य भवन-051-निर्माण-05-खाद्य एवं उपभोक्ता भवन का निर्माण-60-भूमि क्रय	1.00	3174.00	3173.00	3173.00	3174.00

1. उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष व्यय न होना।
2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट/प्रतिबन्धो/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-बजट-1-455, दिनांक -10-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।
खाद्य एवं रसद विभाग।

मनजीत सिंह
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-7/2026/100/29-3-2026 व दिनांक उपरोक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
- 3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्ला निंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थानहिल रोड, प्रयागराज।
- 4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
- 8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में), उ0प्र0 शासन।
- 9- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

अवनीन्द्र कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।